"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 982] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 — पौष 3, शक 1947

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

आदेश

क्रमांक एफ 1–4/2019/रास/यू–7.— इस सचिवालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 19–10–2025 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 12(6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा संभागायुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को उनके वर्तमान दायित्वों सहित दिनांक 05–11–2025 से वृद्धि करते हुए आगामी आदेश अथवा छः माह के लिये कुलपति, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति के रूप में कार्य करने के लिये नामनिर्देशित किया गया है।

हस्ता./–

(सी.आर. प्रसन्ना)
राज्यपाल के सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.